

# न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्या:- 12/04/2024

रजू दिनांक: 05.01.2024

रजि0 न0 2024/4

अपीलार्थी:-

श्री रामप्रकाश सैनी पुत्र श्री शिम्भूदयाल सैनी,  
निवासी मौहल्ला खोहरा, स्कीम नं0 7 अलवर,  
जिला अलवर-301001 (राजस्थान)

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन नगर विकास  
न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)  
301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::---

दिनांक:- 13.02.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 23.10.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 15.01.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र क्रमांक नविवि/आर0टी0आई0/2024/11301 दिनांक 12.01.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि कार्यालय के पत्रांक 9423 दिनांक 02.11.2023 के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 08.11.2023 को सांय 4:00 बजे कार्यालय में उपस्थित होकर अवलोकन कर दस्तावेज चिन्हित किये जाने हेतु सूचित किया गया। अवलोकनापरान्त अपीलार्थी द्वारा चिन्हित किये गये दस्तावेज तृतीय पक्ष एवं सृजनात्मक है। जिसकी सूचना कार्यालय के पत्रांक 9384 दिनांक 01.11.2023 एवं 9679 दिनांक 21.11.2023 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि वांछित सूचना के संबंध में विनिश्चय कर सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्त खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकारी अधि0 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को पालनार्थ भिजवाई जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(आशीष/गुप्ता)  
जिला कलक्टर अलवर  
(राज0)